

सी.जी.-डी.एल.-सा.-17062021-227665 CG-DL-W-17062021-227665

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY साप्ताहिक WEEKLY

सं. 201

नई दिल्ली, जून 6-जून 12, 2021 शनिवार/ ज्येष्ठ 16-ज्येष्ठ 22, 1943

No. 20]

NEW DELHI, JUNE 6-JUNE 12, 2021, SATURDAY/JYAISTHA 16-JYAISTHA 22, 1943

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2021

का.आ. 350.—बीमांकक अधिनियम, 2006 (2006 का 35) की धारा 12 की उप-धारा (2) के खंड (ख) (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री के. गणेश, पूर्णकालिक सदस्य (जीवन), भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के स्थान पर श्री पी. के. अरोड़ा, पूर्णकालिक सदस्य (बीमांकक), भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण को 3 जनवरी, 2024 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, भारतीय बीमांकक संस्थान की परिषद के सदस्य के रूप में नामित करती है।

[फा. सं. एम-18013/01/2011-बीमा-I]

विनोद कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

New Delhi, the 5th April, 2021

S.O. 350.—In exercise of the powers conferred by clause (b) (ii) of sub-section (2) of section 12 of the Actuaries Act, 2006 (35 of 2006), the Central Government hereby nominates Shri P.K. Arora, whole-time member (Actuary), Insurance Regulatory and Development Authority of India as a member of the Council of the Institute of Actuaries of India vice Shri K. Ganesh, whole-time member (life), Insurance Regulatory and Development Authority of India, till 3rd January, 2024 or until further orders whichever is earlier.

[F. No. M-18013/01/2011-Ins.I]

VINOD KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 जून, 2021

का.आ. 351.—जीवन बीमा निगम अधिनियम,1956 (1956 का 31) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष के रूप में श्री एम.आर.कुमार (जन्मतिथि:13.6.1961) के कार्यकाल की वर्तमान अधिसूचित अवधि जो दिनांक 30.06.2021 को समाप्त हो रही है, को दिनांक 13.03.2022 तक अर्थात अध्यक्ष के रूप में तीन वर्ष की अवधि पूरा करने की तिथि अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो बढ़ाती है।

[फा. सं. ए-15011/02/2020-बीमा-I]

विनोद कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 9th June, 2021

S.O. 351.—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby extends the term of office of Shri M. R. Kumar (Date of birth: 13.6.1961), as Chairman Life Insurance Corporation of India beyond his currently notified term, which expires on 30.6.2021, till 13.3.2022 i.e. the date he completes three years as the Chairman, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. A-15011/02/2020-Ins.I] VINOD KUMAR, Under Secy.